

न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक-14/11/19

मि.न.80/2019

1131

सरकार बनाम जगदीश सिंह

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 617/2.72,618/0.09,778/0.34है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता मेंसे 0.04,0.09,0.02है0 पर जगदीश सिंह पुत्र कबूल सिंह जाति राजपूत निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत लगाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवतएल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आया । तथा जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैर - सायल ने अपने जबाब मे कथन किया है कि उक्त आराजीयात पर हमारा पुशतैनी कब्जा चला आ रहा है मेरे द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब के अनुसार गैर सायल का अतिक्रमण उक्त आराजीयात पर किया जाना बखूबी साबित होता है । जबकि पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल द्वारा संवत 2076 में जोत लगाकर अतिक्रमण बताया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसायल जगदीश सिंह पुत्र कबूल सिंह जाति राजपूत निवासी नारहेडा जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 617/2.72,618/0.09,778/0.34है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता मेंसे क्रमशः0.04,0.09 0.02है0पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः जगदीश सिंह पुत्र कबूल सिंह जाति राजपूत निवासी नारहेडा जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0न0617/2.72,618/0.09,0.34 है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता मेंसे 0.04,0.09 0.02 है0 पर अतिकमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात की गई जोत को हटाया जा कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा नाजायज रूप से अतिकमण करने के आरोप में लगान राशी 5.20का पचास गुणा 260रुं अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार निलामी, बेदखली, पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14/11/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

वष 19-20
के पृष्ठ संख्या 52 प: 260
इसमें कायम किये गये।

राजस्व लेखिका
कोटपूतली